संपादकीय

प्रत्यर्पण को कूटनीतिक प्रयास तेज करें

हाल ही में मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को भारत लाने और अब बेल्जियम में सबसे बड़ी बैंकिंग धोखाधड़ी करके फरार हुए हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी के गहरे निहितार्थ हैं। इससे देश में अपराध करके भागने वालों के लिये सख्त संदेश जाएगा कि वे साफ बचकर नहीं निकल सकते। जांच एजेंसियों की सतर्कता, अधिकारियों की तत्परता और सत्ताधीशों की सजगता स्थितियां बदल सकती है। बहरहाल, चोकसी की गिरफ्तारी से यह उम्मीद जरूर जगी है कि देर-सवेर भारत लाकर उस पर मुकदमा चलाया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि साल 2018 में देश के सबसे बड़े बैंक घोटाले के जरिये चोकसी एंड पार्टी ने पूरे देश की बैंकिंग व्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। चोकसी पर आरोप है कि उसने पंजाब नेशनल बैंक के साथ करीब तेरह हजार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी। आरोप है कि इस धोखाधड़ी में कथित तौर पर बैंक अधिकारियों और अन्य लोगों की भी गहरे तक मिलीभगत थी। दरअसल, इस बड़े घोटाले के सार्वजनिक होने से पहले ही मेहुल चोकसी और सह-आरोपी उनका भतीजा नीरव मोदी भारत से भागने में सफल हो गए थे। नीरव को वर्ष 2019 में ब्रिटेन में गिरफ्तार कर लिया गया था। वह अभी भी वहीं हिरासत में है। लेकिन येन-केन-प्रकारेण तथा लगातार नयी दलीलें देकर अपना प्रत्यर्पण टालने में सफल रहा है। दरअसल, पश्चिमी देशों में सशक्त नागरिक व मानव अधिकारों का दुरुपयोग ये अभियुक्त अपनी खाल बचाने के लिये बखूबी करते हैं। दूसरे उनके पास घोटाले का पर्याप्त पैसा है, जिससे वे महंगी कानूनी लड़ाई के जरिये अपना बचाव करने में कामयाब होते रहे हैं। बहरहाल, भले ही चोकसी की बेल्जियम में गिरफ्तारी हो गई है,लेकिन उसकी जल्दी वापसी इतनी भी आसान नहीं है। इस मामले को देख रहे अधिकारियों को अभी लंबी कानूनी लड़ाई के लिये तैयार रहना होगा। यह तय है कि चोकसी अपनी रिहाई सुनिश्चित करने तथा अपना प्रत्यर्पण टालने के लिये कानूनी मोर्चे पर कोई कसर नहीं छोड़ने वाला है। निश्चित रूप से हमें बचाव पक्ष के वकीलों की रणनीति को लेकर कोई आश्चर्य न होगा कि चोकसी के खराब स्वास्थ्य को आधार बनाकर जमानत लेने का प्रयास किया जाए। खबरों में बताया जा रहा है कि चोकसी कैंसर का इलाज करा रहा है। वहीं दूसरी ओर देश में अपराध करके भागने वाले लोग विदेशी अदालतों में यह दलील देने से नहीं चूकते कि भारत में जेलों के हालात खराब है और वे उन स्थितियों में नहीं रह सकते। ऐसे में भारतीय जांच एजेंसियों को इस तरह के कुतर्कों का पुख्ता तरीके से मुकाबला करने के लिये पूरी तैयारी के साथ विदेशी अदालतों में अपना पक्ष सशक्त ढंग से रखना होगा।

विनोद शर्मा, संपादक

तेजस्वी-राहुल मुलाकात में भी नहीं बनी बात

महागठबंधन में पेंच अभी फंसा हुआ है!

कांग्रेस सीटों की संख्या और सीटों के नाम के ऐलान के साथ ही उपमुख्यमंत्री के पद पर भी अड़ गई है। आरजेडी जब तक इन मुद्दों पर कांग्रेस की बात नहीं मान लेती है, तब तक कांग्रेस भी मुख्यमंत्री पद को लेकर अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। इसके साथ ही कांग्रेस इस बार एक साझा कार्यक्रम के आधार पर चुनाव में जाना चाहती है। वहीं सरकार को बनाए रखने के लिए लालू यादव ने अनगिनत बार कम्युनिस्ट पार्टी के विधायकों को तोड़ने का काम किया। कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल को तो लालू यादव ने बिहार में अपनी बी टीम बनाकर छोड़ दिया था। लालू यादव सीधे कांग्रेस आलाकमान से डील किया करते थे और बिहार कांग्रेस के नेताओं को हमेशा लालू यादव से डर कर रहना पड़ता था। बिहार में कांग्रेस नेताओं की हालत इतनी दयनीय हो गई थी कि हाल ही में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के साथ दिल्ली में हुई बैठक में कई नेताओं ने यह शिकायत भी की कि आरजेडी के नेता कांग्रेस नेताओं को सम्मान नहीं देते हैं। उस समय राहुल गांधी ने कहा था कि सम्मान मांगने से नहीं मिलता, बल्कि सम्मान हासिल करना पड़ता है।

संतोष कुमार पाठक

बिहार में कांग्रेस नेताओं की हालत इतनी दयनीय हो गई थी कि हाल ही में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के साथ दिल्ली में हुई बैठक में कई नेताओं ने यह शिकायत भी की कि आरजेडी के नेता कांग्रेस नेताओं को सम्मान नहीं देते हैं। बिहार की राजनीति में 90 के दशक में लालू यादव के ताकतवर होने के साथ ही कांग्रेस समेत अन्य कई राजनीतिक दलों के बुरे दिन शुरू हो गए थे। बीजेपी के समर्थन से सरकार चला रहे लालू यादव ने वर्ष 1990 में लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करा कर सबको चौंका दिया था। उस समय आडवाणी को जिस अधिकारी (आरके सिंह) ने गिरफ्तार किया था, उन्हें नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी बनाया था। वहीं सरकार को बनाए रखने के लिए लालू यादव ने अनगिनत बार कम्युनिस्ट पार्टी के विधायकों को तोड़ने का काम किया। कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल को तो लालू यादव ने बिहार में अपनी बी टीम बनाकर छोड़ दिया था। लालू यादव सीधे कांग्रेस आलाकमान से डील किया करते थे और बिहार कांग्रेस के नेताओं को हमेशा लालू यादव से डर कर रहना पड़ता था। बिहार में कांग्रेस नेताओं की हालत इतनी दयनीय हो गई थी कि हाल ही में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के साथ दिल्ली में हुई बैठक में कई नेताओं ने यह शिकायत भी की कि आरजेडी के नेता कांग्रेस नेताओं को सम्मान नहीं देते हैं। उस समय राहुल गांधी ने कहा था कि सम्मान मांगने से नहीं मिलता, बल्कि सम्मान हासिल करना पड़ता है। लेकिन राहुल गांधी के मिशन बिहार से काफी कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। बिहार के लगातार दौरे पर जाकर राहुल गांधी ने राज्य की राजनीति को समझने का प्रयास किया। अपने करीबी नेता कृष्णा अल्लावरु को बिहार कांग्रेस का प्रभारी बनाकर भेजा। लालू यादव के करीबी माने जाने वाले अखिलेश प्रसाद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर एक दलित नेता राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। लालू यादव और तेजस्वी यादव की नाराजगी के बावजूद कन्हैया कुमार को पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा का चेहरा बनकर बिहार की सड़कों पर उतरने का मौका दिया। आने वाले दिनों में लालू यादव और तेजस्वी यादव की नाराजगी के बावजूद पप्पू यादव को भी बड़ी भूमिका देने की खबरें निकल कर सामने आ रही है। कांग्रेस के आक्रामक तेवरों को देखते हुए लालू यादव काफी हद तक असहज हो गए। उन्होंने अपने बेटे तेजस्वी यादव (जिन्हें वे पहले ही मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं) को पटना में 17 अप्रैल को होने वाली महागठबंधन की बैठक से पहले ही राहुल गांधी के साथ सब कुछ तय करने के लिए आनन-फानन में दिल्ली भेजा। मंगलवार को तेजस्वी यादव ने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर राहुल गांधी के साथ बैठक की। लेकिन राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को कांग्रेस की अहमियत बताने के लिए इसको एक बड़ी बैठक बना दिया। इस बैठक में कांग्रेस की तरफ से

राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के अलावा राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरु, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और गुरदीप सिंह सप्पल भी मौजूद रहे। वहीं तेजस्वी यादव अपने साथ पार्टी के राज्यसभा सांसद मनोज झा और संजय यादव को लेकर गए थे। लेकिन तेजस्वी यादव की यह दिल्ली यात्रा उनके लिए उतनी लाभदायक नहीं रही, जितनी वह उम्मीद कर रहे थे। कांग्रेस ने आरजेडी के ऑफर (यानी 50 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने) को सिरे से नकार दिया और पिछली बार की तरह 70 सीटों की मांग रख दी। इतना ही नहीं कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा गया कि पिछली बार की तरह कांग्रेस कमजोर और हारने वाली सीटों को स्वीकार नहीं करेगी। सीट को लेकर विस्तार से चर्चा पटना की बैठक में होगी। वहीं मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर भी कांग्रेस ने फिलहाल अपने पत्ते खोलने से साफ इनकार कर दिया है। दिल्ली की बैठक बेनतीजा रही, यह बैठक के बाद आए बयानों से भी साफ पता चलता है। बड़ी उम्मीदों के साथ दिल्ली आए तेजस्वी यादव ने बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि, पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे के लिए। यह हम लोगों की चीजें हैं। हम लोगों की बातचीत के बाद सारी चीजें सामने आ जाएंगी। इसमें आप लोगों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर पत्रकारों ने यही सवाल बैठक से बाहर आए कांग्रेस के नेताओं से भी पूछा। कृष्णा अल्लावरु ने भी साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि , अगर पहली मुलाकात में ही सब कुछ तय हो गया होता तो वे इसकी जानकारी जरूर देते। मतलब साफ है कि गठबंधन में अभी काफी पेंच फंसा हुआ है। कांग्रेस इस बार झुकने को तैयार नहीं है। बिहार में इसी साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने है। आरजेडी चाहती थी कि पहले कांग्रेस के साथ सारे मुद्दे तय कर लिए जाएं, फिर गठबंधन में शामिल अन्य राजनीतिक दलों के साथ बैठक की जाए। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में खरगे के आवास पर हुई पहले दौर की बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। आपको बता दें कि, 2020 के पिछले विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे के तहत आरजेडी 144, कांग्रेस 70, सीपीआई (एमएल) 19, सीपीआई 6 और सीपीआई (एम) 4 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। विपक्षी गठबंधन के प्रदर्शन की बात करें तो, आरजेडी को 75, कांग्रेस को 19, सीपीआई(एमएल) को 12 और सीपीआई एवं सीपीआई(एम) को 2-2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। आरजेडी कांग्रेस को 70 में से सिर्फ 19 सीटें जीतने की याद दिलाते हुए, इस बार सिर्फ 50 सीटों पर लड़ने की बात कह रहा है। जबकि कांग्रेस 70 से कम पर मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब सबकी निगाहें, 17 अप्रैल को पटना में होने वाली महागठबंधन की बैठक पर टिक गई है।

अराजकता में डूबे बंगाल में नाउम्मीदी का अंधेरा

ललित गर्ग

मुर्शिदाबाद हिंसा के जरिए पूरे बंगाल में हिंसा फैलाने का प्लान तुर्की में बनाया गया था, इसके जरिए बंगाल के हालात भी ठीक बांग्लादेश की तरह करने की कोशिश थी। हिंसा को लेकर बाकायदा एक लिस्ट तैयार की गई थी कि कौन कहां नुकसान करेगा और लूटपाट मचाएगा। बंगाल में वक्फ कानून को लेकर हिंसा का सिलसिला जिस तरह तेज और सांप्रदायिक होता जा रहा है, जिस तरह से हिन्दुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें मुर्शिदाबाद से पलायन को विवश किया जा रहा है, वह मुस्लिम तुष्टीकरण और दुष्प्रचार की खतरनाक राजनीति का प्रतिफल तो है ही, वह कुशासन एवं अराजकता की भी चरम पराकाष्ठा भी है। नए वक्फ कानून को लेकर कुछ राजनीतिक दल मुस्लिम समाज को विशेषतः किशोर बच्चों को हिंसा एवं तोड़फोड के लिये जानबूझकर सड़कों पर उतारने में लगे हुए हैं। वे उन्हें अराजकता एवं उन्माद के लिए उकसा भी रहे हैं और तरह-तरह से प्रोत्साहन दे रहे हैं। अराजकता फैलाने वाले किस तरह बेखौफ हैं, इसकी पुष्टि इससे होती है कि वे सरकारी-गैरसरकारी वाहनों को तोड़ने, जलाने के साथ पुलिस पर भी हमले कर रहे हैं। बंगाल के विभिन्न जिलों में वक्फ कानून के विरोध के बहाने फैलाई जा रही अराजकता इसलिए भी थमने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस कानून के खिलाफ खड़ी होकर राजनीतिक रोटियां सेंकने का काम कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में हिंसा का बढ़ना, हिन्दुओं में डर पैदा होना, भय का वातावरण बनना, आम जनजीवन का अनहोनी होने की आशंकाओं से घिरा होना चिंताजनक भी है और राष्ट्रीय शर्म का विषय भी है। यह बंगाल पुलिस के नाकारापन एवं ममता सरकार के मुस्लिम तुष्टिकरण का ही दुष्परिणाम है कि मुर्शिदाबाद के साथ ही अन्य शहरों में भी वक्फ कानून के विरोध की आड़ में हिंसा, तोड़फोड, आगजनी हो रही है। खतरनाक यह है कि इस दौरान हिंदुओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने वक्फ कानून विरोधियों की अराजकता से उपजे हालात का संज्ञान लिया। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। इससे शर्मनाक एवं दर्दनाक और कुछ नहीं हो सकता कि मुर्शिदाबाद में 11 अप्रैल को हुई हिंसा के बाद करीब 500 हिंदू पलायन कर गए हैं। हिंदू परिवारों का आरोप है कि हिंसा के दौरान उनको चुन-चुनकर निशाना बनाया गया। उनके पीने के पानी में जहर तक मिला दिया गया है। इस हिंसा की जांच एजेंसियों ने पोल खोल दी है, यह हिंसा पूरी प्लानिंग के तहत की गई थी, जिसमें तुर्की से फंडिंग और स्थानीय मदरसों की मिलीभगत सामने आई है। हमलावरों को ट्रेनिंग दी गई और इनाम की व्यवस्था भी की गई थी। ममता बनर्जी एवं उनकी सरकार देश में एकमात्र ऐसी सत्तारुढ़ पार्टी एवं नेता बन गई है जिसका देश के संविधान, न्यायपालिका एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भरोसा नहीं रह गया है। वक्फ कानून का विरोध करने सड़क पर उतरे तत्वों के दुस्साहस का पता इससे चलता है कि वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों को भी निशाना बनाने से नहीं हिचक रहे हैं। उनके इसी दुस्साहस के चलते मुर्शिदाबाद के हिंदुओं ने खुद को असहाय पाया। बंगाल में कानून के शासन ने सुनियोजित हिंसा के दुष्चक्र के समक्ष एक बार फिर समर्पण कर दिया। बंगाल में इसके पहले भी ऐसा हो चुका है। मई 2021 में विधानसभा चुनावों के बाद वहां तृणमूल समर्थक तत्वों ने अपने राजनीतिक विरोधियों को इतना आतंकित किया था कि वे जान बचाने के लिए असम में शरण लेने को मजबूर हुए थे। तब भी वहां पुलिस मूकदर्शक बनी हुई थी। ताजा हिंसक हालातों में राज्य सरकार और उसके नेता यह झूठ देश के गले में उतारने में लगे हुए हैं कि बंगाल में स्थितियां नियंत्रण में हैं। यह कैसा नियंत्रण है? यह कैसी शासन-व्यवस्था है? यह कैसा दोगलापन है? जिसमें एक समुदाय खुलेआम दूसरे समुदाय को निशाना बना रहा है। खुलेआम सार्वजनिक मंचों पर राष्ट्र-विरोधी विचारों का जहर घोला जा रहा है। वक्फ कानून में संशोधन का विरोध विडम्बनापूर्ण होने के साथ देश में अराजकता फैलाने का माध्यम बना हुआ है। वक्फ कानून में संशोधन के तहत किसी मस्जिद, मदरसे आदि को लेकर किसी भी तरह के नुकसान, कब्जा करने या दखल की बात नहीं कही गयी है। इसके विरोधी चाहे जो तर्क दें।

बेहाल वृद्धों के लिये आयोग बनना एक सराहनीय कदम

ललित गर्ग

केरल योजना बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, दक्षिणी राज्य पूरे भारत की तुलना में अधिक तेजी से वृद्ध हो रहा है। 1961 में, केरल में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या कुल जनसंख्या का 5.1 प्रतिशत थी, जो राष्ट्रीय औसत 5.6 प्रतिशत से थोड़ा कम थी। केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोग स्थापित करने के लिए एक कानून पारित किया है। यह एक सराहनीय एवं स्वागत योग्य पहल होने के बावजूद एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है कि आखिर भारत के बुजुर्ग इतने उपेक्षित एवं प्रताड़ित क्यों है? केरल जैसे शिक्षित राज्य में ही इस आयोग को बनाने की जरूरत क्यों सामने आयी? केरल में क्यों सामाजिक सुरक्षा, स्नेह, सुरक्षा की वह छांव लुप्त होती जा रही है, जिसमें बुजुर्ग खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। क्यों केरल में ही बुजुर्ग सर्वाधिक अकेलेपन एवं एकाकीपन का संत्रास झेलने को विवश हो रहे है? केरल में कई बुजुर्ग लोगों को युवा पीढ़ी के हाथों गरीबी और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रांत में कई गांव ऐसे हैं जहां केवल बुजुर्ग ही बचे हैं, प्रश्न है कि ऐसा क्यों हो रहा है? यूं तो समूचे देश में बुजुर्गों की लगभग यही स्थिति बन रही है, जो सामाजिक व्यवस्था पर एक बदनुमा दाग है। केरल योजना बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, दक्षिणी राज्य पूरे भारत की तुलना में अधिक तेजी से वृद्ध हो रहा है। 1961 में, केरल में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या कुल जनसंख्या का 5.1 प्रतिशत थी, जो राष्ट्रीय औसत 5.6 प्रतिशत से थोड़ा कम थी। हालांकि, 1980 के दशक तक, राज्य ने बाकी राज्यों को पीछे छोड़ दिया। 2001 तक यह हिस्सा बढ़कर 10.5 प्रतिशत हो गया, जबकि राष्ट्रीय औसत 7.5 प्रतिशत था। 2011 में यह 12.6 प्रतिशत था, जबकि राष्ट्रीय औसत 8.6 प्रतिशत था। केरल के योजना बोर्ड के अनुसार, 2015 में यह बढ़कर 13.1 प्रतिशत हो गया, जबकि राष्ट्रीय औसत 8.3 प्रतिशत था। अब, दक्षिणी राज्य में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 4.8 मिलियन लोग हैं। इसके अलावा, बुजुर्ग समूह का 15 प्रतिशत 80 वर्ष से अधिक आयु का है, जो इसे बुजुर्ग लोगों के बीच सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला आयु समूह बनाता है। 60 से अधिक आयु वर्ग में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है और उनमें से अधिकांश विधवाएं हैं। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने बुधवार को पारित इस कानून की सराहना करते हुए कहा कि यह नया आयोग बुजुर्गों के अधिकारों, कल्याण और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करेगा। देश में बुजुर्गों की हालत दिन-ब-दिन जटिल होती जा रही है। केरल देश के सबसे शिक्षित राज्यों में शुमार होता है तो बुजुर्गों के प्रति बरती जा रही उपेक्षा, उदासीनता एवं प्रताड़ना में भी सबसे आगे है। लगभग 94 फीसदी साक्षरता वाले इस राज्य में बुजुर्ग शिक्षित युवाओं के पलायन का संत्रास झेल रहे हैं। राज्य के करीब 21 लाख घरों में युवाओं के पलायन करने के कारण सिर्फ बुजुर्ग बचे हैं। गांव के गांव पलायन का दंश झेलते हुए वीरान हो चुके हैं। लाखों घरों में सिर्फ ताले लटके नजर आते हैं। खाड़ी के देशों में जाकर सुनहरा भविष्य तलाशने की होड़ में इसी प्रांत के सर्वाधिक युवा है। भले ही इस प्रांत ने सर्वाधिक शिक्षा से प्रगतिशील सोच दी है, लेकिन अंतहीन भौतिक लिप्साओं को भी जगाया है, जिससे ही बुजुर्गों की उपेक्षा या उनको उनके हाल पर छोड़ देने की विकृत मानसिकता एवं त्रासदी उभरी है। वृर्द्धों की उपेक्षा देशभर में देखने को मिल रही है, हाल के वर्षों में केरल के बाद पंजाब-हरियाणा में भी नजर आ रही है। वैसे तो यह हमारे नीति-नियंताओं की नाकामी का भी परिणाम है कि हम युवाओं को उनकी योग्यता-

आकांक्षाओं के अनुरूप रोजगार देश में नहीं दे पाए। उन्हें न अपनी जन्मभूमि का सम्मोहन रोकता है और न ही यह फिक्र कि उनके जाने के बाद बुजुर्ग माता-पिता का क्या होगा? एकाकीपन का त्रास झेलते केरल के इन गांवों में बुजुर्गों के पास पैसा तो है मगर समाधान नहीं है। कुछ वृद्धों के पास तो धन का अभाव भी इस समस्या को विकराल रूप दे रहा है। राज्य में वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ने के साथ ही बुजुर्गों के अधिकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं। भारत में बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार, उपेक्षा एवं उदासीनता एक बढ़ती चिंता का विषय है, उनका एकाकीपन एवं अकेलापन उससे बड़ी समस्या है। केरल के वृद्ध-संकट को महसूस करते हुए वहां की सरकार ने वरिष्ठ नागरिक आयोग बनाया है, जो एक सूझबूझभरा कदम है। लेकिन यह वक्त बताएगा कि भ्रष्ट अफसरशाही व घुन लगी व्यवस्था में ये आयोग कितना कारगर होगा? लेकिन फिर भी जिस राज्य में हर पांचवें घर से एक व्यक्ति विदेश चला गया है, वहां ऐसा आयोग एक सीमा तक तो समस्या के समाधान की दिशा में रोशनी बनेगा। जरूरत है सरकारी अधिकारी संवेदनशीलता एवं इंसानियत से बुजुर्गों की समस्याओं का समाधान करने के लिये आगे आये। केरल की सामाजिक न्याय मंत्री आर. बिंदु के अनुसार आयोग समृद्ध और निम्न आय वाले दोनों ही परिवारों के वृद्ध व्यक्तियों के शोषण की समस्या का महत्वपूर्ण समाधान करेगा। जो वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल, उनकी गरिमा, कल्याण और जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। उम्र बढ़ने के साथ-साथ लोगों को अक्सर स्वास्थ्य में गिरावट, अकेलेपन और वित्तीय असुरक्षा जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आवश्यक सहायता प्रदान करने से अधिक समावेशी और दयालु समाज बनाने में मदद मिलती है। निःसंदेह, बुजुर्गों की आवश्यकताएं सीमित होती हैं। लेकिन उनका मनोबल बढ़ाने की जरूरत है। सबसे ज्यादा जरूरी उनकी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं दूर करना है। बेहतर चिकित्सा सेवा व घर-घर उपचार की सहज उपलब्धता समस्या का समाधान दे सकती है। वैसे अकेले रह रहे बुजुर्गों को भी इस दिशा में पहल करनी होगी। सामाजिक सक्रियता एवं मनोबल इसमें सहायक बनेगा। नीति-नियंताओं को सोचना होगा कि अगले दशकों में देश युवा भारत से बुजुर्गों का भारत बनने वाला है। वर्ष 2050 तक भारत में साठ साल से अधिक उम्र के 34.7 करोड़ बुजुर्ग होंगे। क्या इस चुनौती से निपटने को हम तैयार हैं? क्या केरल की तरह अन्य राज्यों की सरकारें एवं केन्द्र सरकार लगातार बुजुर्गों से जुड़ी समस्याओं के लिये ठोस कदम उठायेगी? वसुधैव कुटुम्बकम् की बात करने वाला देश एवं उसकी नवपीढ़ी आज एक व्यक्ति, एक परिवार यानी एकल परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं, वे अपने निकटतम परिजनों एवं माता-पिता को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ नहीं रह पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी गतदिनों हाईकोर्ट के अनेक फैसलों को पलटते हुए सराहनीय पहल की है। जिनमें अब बुजुर्ग माता-पिता से प्रॉपर्टी अपने नाम कराने या फिर उनसे गिफ्ट हासिल करने के बाद उन्हें यूं ही छोड़ देने, वृद्धाश्रम के हवाले कर देने, उनके जीवनयापन में सहयोगी न बनने की बढ़ती सोच पर विराम लगेगा।

वास्तु देवता की पूजा से दूर होते हैं घर के वास्तु दोष

शुभा दुबे

नियमित देव पूजा में विशेष मंत्र से वास्तुदेव का ध्यान वास्तु दोष को दूर करने के लिए आसान उपाय माना गया है, जो घर में बिना किसी तोड़-फोड़ किए भी कारगर हो सकता है। मान्यता है कि घर के किसी भी भाग को तोड़ कर दुबारा बनाने से वास्तु भंग दोष लग जाता है। मत्स्यपुराण में बताया गया है कि प्राचीन काल में अन्धकासुर के वध के समय भगवान शंकर के ललाट से पृथ्वी पर जो स्वेदबिन्दु गिरे, उनसे एक भयंकर आकृति वाला पुरुष प्रकट हुआ जो विकराल मुख फैलाये हुए था। उसने अन्धकगणों का रक्त पान किया, किंतु तब भी उसे तृप्ति नहीं हुई और वह भूख से व्याकुल होकर त्रिलोकी को भक्षण करने के लिए तैयार हो गया। बाद में शंकरजी तथा अन्य देवताओं ने उसे पृथ्वी पर सुलाकर वास्तु देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया और उसके शरीर में सभी देवताओं ने वास किया इसलिए वह वास्तु के नाम से प्रसिद्ध हो गया। देवताओं ने उसे गृह निर्माण के, वैश्वदेव बलि के तथा पूजन यज्ञ-यागादि के समय पूजित होने का वर देकर प्रसन्न किया। इसलिए आज भी वास्तु देवता का पूजन होता है। देवताओं ने उसे वरदान दिया कि तुम्हारी सब मनुष्य पूजा करेंगे। इसकी पूजा का विधान प्रासाद तथा भवन बनाने एवं तडाग, कूप और वापी के खोदने, गृह-मंदिर आदि के जीर्णोद्धार में, पुर बसाने में, यज्ञ-मंडप के निर्माण तथा यज्ञ-यागादि के अवसरों पर किया जाता है। इसलिए इन अवसरों पर यत्नपूर्वक वास्तु पुरुष की पूजा करनी चाहिए। वास्तु पुरुष ही वास्तु देवता कहलाते हैं। नियमित देव पूजा में विशेष मंत्र से वास्तुदेव का ध्यान वास्तु दोष को दूर करने के लिए आसान उपाय माना गया है, जो घर में बिना किसी तोड़-फोड़ किए भी कारगर हो सकता है। मान्यता है कि घर के किसी भी भाग को तोड़ कर दुबारा बनाने से वास्तु भंग दोष लग जाता है। इसकी शांति के लिए भी वास्तु देव पूजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी यदि आप किसी फ्लैट या कोठी में रहते हैं और आपको लगता है कि किसी वास्तु दोष के कारण

आपके घर में कलह, धन हानि व रोग आदि हो रहे है तो आपको नवग्रह शांति व वास्तुदेव पूजन करवा लेना चाहिए। पूजन सामग्री- वास्तु देव पूजन के लिए आवश्यक सामग्री इस प्रकार है- रोली, मौली, पान के पत्ते, लौंग, इलाइची, साबुत सुपारी, जौ, कपूर, चावल, आटा, काले तिल, पीली सरसों, धूप, हवन सामग्री, पंचमेवा, शुद्ध घी, तांबे का लोटा, नारियल, सफेद वस्त्र, लाल वस्त्र, 2 पटरे लकड़ी के, फूल, फूलमाला, रूई, दीपक, आम के पत्ते, आम की लकड़ी, पंचामृत, माचिस, स्वर्ण शलाखा। नींव स्थापन के लिए कुछ अतिरिक्त सामग्री चाहिए होती है जो इस प्रकार है- तांबे का लोटा, चावल, हल्दी, सरसों, चांदी का नाग-नागिन का जोड़ा, अष्टधातु कच्छप, 5 कौडियां, 5 सुपारी, सिंदूर, नारियल, लाल वस्त्र, घास, रेजगारी, बताशे, पंच रत्न, पांच नई ईंटें। पुराणों में कहा गया है कि देवालय या चौराहे के समीप अपना घर नहीं बनवाना चाहिये क्योंकि इससे दुःख शोक और भय बना रहता है। घर के चारों ओर तथा द्वार के सम्मुख और पीछे कुछ भूमि को छोड़ देना शुभकारक है। पिछला भाग दक्षिणावर्त रहना ठीक है क्योंकि वामावर्त विनाशकारक होता है। दक्षिण भाग में ऊंचा रहने वाला घर सम्पूर्ण वास्तु के नाम से अभिहित किया जाता है।

स्वामी, भाग्यमीडिया पब्लिकेशन प्रा. लि. के लिए प्रकाशक, मुद्रक राजेश शर्मा द्वारा प्रदेश वॉच मीडिया ग्रुप 11 प्रेस काम्पलेक्स जोन-1 एम.पी. नगर भोपाल (म.प्र.) से मुद्रित कर, जी-11 प्रथम तल गोयल निकेत जोन-1 एम.पी. नगर भोपाल (म.प्र.) से प्रकाशित, पिन-462011, संपादक : विनोद शर्मा, फोन नं. 0755-4512708, पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार सभी मामलों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा । RNI No. MPHIN/2016/68059